"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल 2016—चैत्र 26, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2016

क्रमांक ई-1-01/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से., (1997) को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री सोनमणि बोरा, भा.प्र.से. (1999) आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पदस्थ करता है. साथ ही सचिव, छ.ग. शासन, समाज कल्याण तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रामसिंह ठाकुर (भा.प्र.से.-2000), कलेक्टर, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, दुर्ग संभाग के पद पर पदस्थ करता है.

श्री राम सिंह ठाकुर द्वारा आयुक्त, दुर्ग संभाग के पद का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री अशोक अग्रवाल (भा.प्र.से.-2000), आयुक्त रायपुर संभाग, रायपुर तथा आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग केवल आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

2. श्री अविनाश चंपावत, (भा.प्र.से.-2003), संचालक, उद्यानिकी एवं पदेन संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

3. श्री ओम प्रकाश चौधरी, (भा.प्र.से.-2005) कलेक्टर, जांजगीर-चांपा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

4. डॉ. संजय कुमार अलंग, (भा.प्र.से.-2005), कलेक्टर, मुंगेली को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, महिला एवं बाल विकास के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, समाज कल्याण एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

5. श्री एलेक्स व्ही.एफ.पॉल मेनन व्ही., (भा.प्र.से.-2006), कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

6. श्री एस. भारतीदासन, (भा.प्र.से.-2006), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा के पद पर पदस्थ करता है.

7. श्री के. सी. देवासेनापति, (भा.प्र.से.-2007), कलेक्टर, जिला-दंतेवाड़ा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य कौशल विकास अभिकरण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना आजीविका कॉलेज सोसायटी के पद पर पदस्थ करता है.

8. श्री हिमशिखर गुप्ता, (भा.प्र.से.-2007), कलेक्टर, जिला-जशपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

9. श्री यशवंत कुमार, (भा.प्र.से.-2007), कलेक्टर, जिला बीजापुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है.

10. सुश्री प्रियंका शुक्ला, (भा.प्र.से.-2009), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य कौशल विकास अभिकरण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना आजीविका कॉलेज सोसायटी को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-जशपुर के पद पर पदस्थ करता है.

11. श्रीमती किरण कौशल, (भा.प्र.से.-2009), संचालक, महिला एवं बाल विकास, संचालक, समाज कल्याण, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-मुंगेली के पद पर पदस्थ करता है.

12. डॉ. तंबोली अय्याज फकीरभाई, (भा.प्र.से.-2009), मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं अपर संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बीजापुर के पद पर पदस्थ करता है.

13. श्री सौरभ कुमार, (भा.प्र.से.-2009), उप सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थ करता है.

14. श्री अवनीश कुमार शरण, (भा.प्र.से.-2009), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के पद पर पदस्थ करता है.

15. श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, (भा.प्र.से.-2011), अपर आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा), छ.ग. रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2016

क्रमांक एफ 1-1/2015/1/5.—वर्ष 2016 में, छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं हेतु जारी सार्वजनिक/सामान्य एवं ऐच्छिक अवकाश की अधिसूचना दिनांक 09-10-2015 में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है :—

उक्त अधिसूचना में :

"ऐच्छिक अवकाश की सूची के सरल क्रमांक-10 में उल्लेखित "होलिका दहन" हेतु निर्धारित ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार अंकित तारीख 22 मार्च के स्थान पर 23 मार्च जोड़ा जाए. हिन्दी माह चैत्र 3, 1938 एवं दिन बुधवार रहेगा"

2. "सार्वजनिक अवकाश की अनुसूची के सरल क्रमांक-03 एवं सामान्य अवकाश सूची के सरल क्रमांक-03 में उल्लेखित "होली" हेतु निर्धारित ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार अंकित तारीख 23 मार्च के स्थान पर 24 मार्च जोड़ा जाए. हिन्दी माह चैत्र 4, 1938 एवं दिन गुरुवार रहेगा"

3. उपरोक्तानुसार होलिका दहन हेतु ऐच्छिक अवकाश दिनांक 23 मार्च, 2016 दिन बुधवार तथा होली हेतु सार्वजनिक/सामान्य अवकाश दिनांक 24 मार्च, 2016 दिन गुरुवार को घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टंडन, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक ई 7-22/2004/1/2.—अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-19 (1) के प्रावधान अनुसार श्री एन. के. असवाल, भा.प्र.से. को विभागीय आदेश दिनांक 23-01-2016 द्वारा दिनांक 07-01-2016 से 08-01-2016 तक (02 दिवस) स्वीकृत अर्जित अवकाश (दिनांक 09 एवं 10 जनवरी, 2016 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ते हुए) को लघुकृत अवकाश में परिवर्तित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2016

क्रमांक एफ 1-01/2015/दो-गृह/भापुसे.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक I-14011/10/2015-आईपीएस. I (I) दिनांक 08 फरवरी 2016 के द्वारा राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें, उनके नाम के सम्मुख कालम नं.-5 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	जन्म तिथि (3)	भा.पु.से. में नियुक्ति दिनांक (4)	पदस्थापना (5)
1.	श्री प्रखर पाण्डे	27-04-1971	08 फरवरी 2015	पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर (छ.ग.)
2.	श्री मनीष शर्मा	02-03-1968	08 फरवरी 2015	पुलिस अधीक्षक, धमतरी (छ.ग.)
3.	श्री डी. रविशंकर	25-04-1968	08 फरवरी 2015	संयुक्त परिवहन आयुक्त रायपुर (छ.ग.)

नया रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2016

क्रमांक एफ 7-31/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी. एल. मनहर, (भापुसे-2004) सहायक पुलिस महानिरीक्षक (लेखा), पुलिस मुख्यालय, रायपुर को निम्नानुसार अर्जित अवकाश की स्वीकृति एवं शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

(1) दिनांक 21-03-2016 से 02-04-2016 (13 दिवस का अर्जित अवकाश) एवं दिनांक 19, 20 मार्च एवं 03 अप्रैल 2016 शासकीय अवकाश.

(2) दिनांक 25-04-2016 से 05-05-2016 (11 दिवस का अर्जित अवकाश) एवं दिनांक 24 अप्रैल 2016 शासकीय अवकाश.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मनहर आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक (लेखा), पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मनहर को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. एल. मनहर, (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री डी. एल. मनहर, (भापुसे-2004) सहा. पुलिस महानिरीक्षक, (लेखा), पुलिस मुख्यालय, रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में सहा. पुलिस महानिरीक्षक, (लेखा), पुलिस मुख्यालय, रायपुर का चालू प्रभार श्रीमती मिलना कुर्रे, सहा. पुलिस महानिरीक्षक, (आजाक), पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2016

क्रमांक एफ 7-08/2014/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री टी. जे. लांगकुमेर, (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल/यातायात, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ को दिनांक 18-02-2016 से 27-02-2016 तक (कुल 10 दिवस) का कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 28 फरवरी 2016 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री टी. जे. लांगकुमेर आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल/यातायात, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री लांगकुमेर को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लांगकुमेर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री टी. जे. लांगकुमेर, (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल/यातायात, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि का प्रभार श्री राजेश मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2016

क्रमांक एफ 6-3/2012/वाक./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष 2013 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर विभाग में वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15600-39100, ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में अनन्तिम (Provisional) रूप से नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापना वाणिज्यिक कर अधिकारी के रूप में उनके सम्मुख कॉलम-5 में दर्शाये कार्यालय में की जाती है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरण होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	9	श्री पीयूष कंवर, पिता-श्री भारत सिंह कंवर, पता-G-10 श्री राम पार्क, डी.डी. नगर, रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.) पिन कोड-492010	अनुसूचित जनजाति	वाणिज्यिक कर अधिकारी (परिवीक्षाधीन), रायगढ़ वृत्त-1, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).

2. (a) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वत: छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभगा द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.

(b) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा.

3. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को जब छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

5. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी.

6. सभी अभ्यर्थियों का निर्धारित मापदंड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

7. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ राजपत्रित (वाणिज्यिक कर) सेवा भरती नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत् शासित होंगे.

8. उपरोक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थी राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

9. उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

10. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जाएगा.

11. चयनित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

12. चयनित आवेदकों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

13. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 7-35/2015/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, आयुक्त सह संचालक, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत् प्रस्तुत आरंग निवेश क्षेत्र की आरंग विकास योजना 2031 का अनुमोदन करता है. आरंग विकास योजना, 2031 उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है.

2. आरंग निवेश क्षेत्र की आरंग विकास योजना 2031 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :—

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.)
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, आरंग (छ.ग.)
3. कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

3. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन के दिनांक से आरंग निवेश क्षेत्र की आरंग विकास योजना 2031 प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 7-35/2015/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में आरंग निवेश क्षेत्र की आरंग विकास योजना 2031 इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 1-4-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 1st April 2016

No. F 7-35/2015/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the State Government hereby accord approval to the Arang Planning Area, Arang Development Plan-2031 submitted by Directorate under sub section (3) of section 18 of said Adhiniyam. The same is being published in "Chhattisgarh Rajpatra" for as required by sub-section (4) of section 19 of the said Adhiniyam.

2. The copy of the approved Arang Planning Area, Arang Development Plan-2031 shall be available during office hours for inspection in the following offices :—

1. Joint Director, Town & Country Planning, Raipur (C.G.)
2. Nagar Panchayat Parishad, Arang (C.G.)
3. Collector, Raipur (C.G.)

3. The Arang Planning Area, Arang Development Plan-2031 shall come into operation from the date of publication of the said notice in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of sub-section (5) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2016

क्रमांक एफ 21/07/2015/13/2/ऊवि.—यत:, राज्य शासन की यह राय है कि औद्योगिक नीति 2014–19 के अंतर्गत राज्य में नवीन औद्योगिक इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट दी जाये;

अतएव, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) की धारा 3–ख सहपठित छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2014–19 के खण्ड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु पात्र उद्योगों को, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित कालावधि के लिये, इनके स्वयं की इकाई द्वारा उपभोग की गई विद्युत पर विद्युत शुल्क के भुगतान से, छूट प्रदान करती है ;

सारणी

(क) सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद् उद्योग (संतृप्त श्रेणी/अपात्र उद्योगों को छोड़कर)

स. क्र.	क्षेत्र	निवेशक का संवर्ग	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	औद्योगिक नीति के अनुसार औद्योगिक रुप से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट 4 देखिये)	अ) सामान्य वर्ग.	5 वर्ष	7 वर्ष	अधिसूचना के खण्ड 3.9 के अनुसार
		ब) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग.	10 वर्ष	10 वर्ष	
		स) महिला उद्यमी, भारतीय सशस्त्र बल/अर्द्ध सैनिक बल से राज्य के सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, अप्रवासी भारतीय (एन आर आई), प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ डी आई), निर्यातक उद्योग, विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले निवेशक.	6 वर्ष	8 वर्ष	

स. क्र.	क्षेत्र	निवेशक का संवर्ग	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	औद्योगिक नीति के अनुसार औद्योगिक रुप से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट 5 देखिये)	अ) सामान्य वर्ग.	7 वर्ष	10 वर्ष	अधिसूचना के खण्ड 3.9 के अनुसार
		ब) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग.	10 वर्ष	12 वर्ष	
		स) महिला उद्यमी, भारतीय सशस्त्र बल/अर्द्ध सैनिक बल से राज्य के सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, अप्रवासी भारतीय (एन आर आई), प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ डी आई), निर्यातक उद्योग, विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले निवेशक.	8 वर्ष	11 वर्ष	

(ख) मेगा प्रोजेक्ट्स, अल्ट्रामेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर)

स. क्र.	क्षेत्र	निवेशक का संवर्ग	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	औद्योगिक नीति के अनुसार औद्योगिक रूप से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट 4 देखिये)	अ) सामान्य वर्ग	8 वर्ष	8 वर्ष	अधिसूचना के खण्ड 3.9 के अनुसार
		ब) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग	10 वर्ष	10 वर्ष	
		स) महिला उद्यमी, भारतीय सशस्त्र बल/अर्द्ध सैनिक बल से राज्य के सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, अप्रवासी भारतीय (एन आर आई), प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ डी आई), निर्यातक उद्योग, विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले निवेशक	9 वर्ष	9 वर्ष	

स. क्र.	क्षेत्र	निवेशक का संवर्ग	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	औद्योगिक नीति के अनुसार औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट 5 देखिये)	अ) सामान्य वर्ग	10 वर्ष	10 वर्ष	अधिसूचना के खण्ड 3.9 के अनुसार
		ब) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग	12 वर्ष	12 वर्ष	
		स) महिला उद्यमी, भारतीय सशस्त्र बल/अर्द्ध सैनिक बल से राज्य के सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, अप्रवासी भारतीय (एन आर आई), प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ डी आई), निर्यातक उद्योग, विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले निवेशक।	11 वर्ष	11 वर्ष	

टीपः— केप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्रों वाले उद्योगों में केवल केप्टिव विद्युत उपभोग पर ही विद्युत शुल्क की छूट प्राप्त होगी।

1. सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाईयों, मेगा प्रोजक्ट तथा अति—वृहद (अल्ट्रा मेगा) प्रोजेक्ट्स उद्योगों, जिसने नियत दिनांक 01/11/2014 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु वैध ई.एम. पार्ट 1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस धारित किया हो अथवा राज्य शासन के साथ एमओयू निष्पादित किया हो एवं एमओयू जीवित हो किंतु औद्योगिक नीति 2009—2014 की कालावधि समाप्त होने अर्थात् 31 अक्टूबर 2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नही किया हो, उन्हें 31 अक्टूबर 2015 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2009—2014 में उपबंधित अनुदान/छूट/रियायतें प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।

2. नियत दिनांक के पश्चात् स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों एवं नियत दिनांक के पूर्व स्थापित/स्थापनाधीन औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को, जो नवीन भू—आबंटन प्राप्त करते है, वे छूट से संबंधित प्रकरणों में, छूट की अतिरिक्त एक वर्ष अवधि प्राप्त करने के पात्र होंगे।

3. **उपरोक्त छूट, निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन होगीः—**

3.1 औद्योगिक इकाई के साथ संचालित केप्टिव पॉवर प्लांट के मामले में, वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख के निर्धारण हेतु संस्थान को स्व—घोषित प्रमाण पत्र को ग्रिड कनेक्टीविटी के अनुसार राज्य के भार प्रेषण केन्द्र अथवा पीजीसीआईएल के क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र से अभिप्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।

3.2 औद्योगिक इकाई के साथ संचालित केप्टिव पॉवर प्लांट के मामले में छूट की पात्रता, ऑक्जलरी खपत तथा विद्युत नियम, 2005 में परिभाषित केप्टिव यूज में खपत की गई बिजली की यूनिटों के आधार पर देय होगी। तद्नुसार, संस्थान को केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली पर विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट हेतु कंपनी को प्रत्येक माह के लिये पृथक–पृथक खपत का विवरण मीटर रीडिंग सहित प्रस्तुत करना होगा।

3.3 औद्योगिक इकाई के साथ संचालित केप्टिव पॉवर प्लांट के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक इकाईयों के लिये वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख का निर्धारण वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र के आधार पर मान्य होगा।

3.4 विद्युत शुल्क भुगतान से छूट का आवेदन वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के अथवा अधिसूचना जारी होने के दिनांक, जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3.5 औद्योगिक नीति 2014–19 में विनिर्दिष्ट संतृप्त श्रेणी के उद्योगों, जो विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु पात्र नहीं है, की सूची, परिशिष्ट–1 में संलग्न है।

3.6 औद्योगिक नीति 2014–19 में विनिर्दिष्ट प्राथमिकता उद्योगों, जो विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु पात्र है, की सूची, परिशिष्ट–2 में संलग्न है।

3.7 औद्योगिक नीति 2014–19 में विनिर्दिष्ट कोर सेक्टर से संबंधित उद्योगों, जो विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु पात्र नहीं है, की सूची, परिशिष्ट–3 में संलग्न है।

3.8 औद्योगिक नीति 2014–19 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन को उन्हीं पात्र उद्योगों के लिये प्रभावशील रखा गया है जो नियोजन में अकुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/प्रबंधकीय पदों के मामले में न्यूनतम 33 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने की शर्त को पूरा करते हों। तद्नुसार उक्त शर्त के पालन की पुष्टि में, औद्योगिक इकाईयों को, नीति के खण्ड 44 के अनुपालन में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.9 नवीन उद्योग एवं विद्यमान उद्योग के परिसर में स्थापित उद्योगों के मामले में नवीन उद्योग की पात्रता का निर्धारण, औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–1 की पैरा 6.1 तथा 6.2 के अधीन शर्तो की पूर्ति तथा उद्योग संचालनालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर, किया जायेगा।

4. आवेदनों का निपटारा तथा विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट देने की प्रक्रियाः—

4.1 औद्योगिक नीति 2014—19 के अंतर्गत पात्र औद्योगिक इकाई को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु, उद्योग विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें उद्योग में निवेश के आकार, उद्योगों की श्रेणी, निवेशक के वर्गीकरण, उद्योगों के नवीन होने, शवलीकरण, बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन आदि से संबंधित न होने, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक आदि के संबंध में जानकारी अंतर्विष्ट होंगे।

4.2 उद्योग आयुक्त/संचालक अथवा वाणिज्य विभाग द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, अनुशंसित आवेदन, जिसमें निवेशक का वर्गीकरण, इकाईयों की श्रेणी, उद्योग की स्थिति, निवेश की सीमा, वास्तविक निवेश, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख, विद्युत शुल्क में छूट की पात्रता अवधि के विवरण अंतर्विष्ट होंगे, मुख्य विद्युत निरीक्षक को प्रेषित किये जायेंगे।

4.3 औद्योगिक इकाई, औद्योगिक नीति 2014—19 में अनुबद्ध प्रावधानों के अनुपालन में, राज्य के मूल निवासियों के लिए निर्धारित प्रतिशत तक उन्हें (अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता की दशा में कुशल श्रमिकों का कम से कम न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा अधिकारी/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम 33 प्रतिशत) नियोजित करेगी तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से निर्धारित अवधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु आवेदन, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए रोजगार के संबंध में, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र सहित आयुक्त, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को प्रस्तुत करेगा तत्पश्चात् आयुक्त वाणिज्य एवं उद्योग तथा जिला उद्योग केन्द्र अपनी अनुशंसा सहित आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिवस के भीतर मुख्य विद्युत निरीक्षक को प्रेषित करेगा। अपूर्ण अनुशंसित आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4.4 मुख्य विद्युत निरीक्षकालय अनुशंसित आवेदन का परीक्षण करेगा तथा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु ऊपर सारणी में दर्शायी गई कालावधि के लिए छूट प्रमाण पत्र जारी करेगा।

4.5 मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण—पत्र में अनुबद्ध किसी भी शर्त अथवा औद्योगिक नीति 2014—19 के प्रावधानों के उल्लंघन पाये जाने की दशा में, विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की पात्रता निरस्त समझी जायेगी।

4.6 उपर्युक्त पैरा 4.5 में छूट हेतु पात्रता के रद्द किये जाने की दशा में, उद्योग को ब्याज सहित विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट के लाभ को राज्य कोषालय में ऐसी तारीख से जमा करना आवश्यक होगा जिससे उद्योग निर्योग्य हो गई हो। यदि उद्योग द्वारा ऐसे बकाये का भुगतान नहीं किया जाता है तो वह भू—राजस्व के बकाया के रूप में प्रभारित एवं वसूल की जायेगी।

4.7 विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट के लिये पात्रता के संबंध में कोई विवाद होने की स्थिति में, ऐसे विषय का निराकरण छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम, 1949 के नियम 13 के अधीन राज्य शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा और यह निर्णय, पक्षकारों पर अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

यह अधिसूचना दिनांक 01.11.2014 से प्रभावशील होगी तथा औद्योगिक नीति 2014–19 के अंतर्गत दिनांक 01.11.2014 से या उसके पश्चात् तथा 31.10.2019 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले नवीन उद्योगों पर लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. यादव, सचिव.

परिशिष्ट–1

संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची (अपात्र उद्योगों की सूची)

(क) सम्पूर्ण राज्य हेतु संतृप्त उद्योगों की सूची–

1. पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग
2. एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस
3. फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग
4. आरा मिल (सॉ मिल)
5. लेदर टैनरी
6. स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना)
7. किसी उत्पाद की रि–पैकिंग
8. मिनरल वाटर
9. पॉलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)
10. कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)
11. चूना निर्माण, चूना पाऊडर, चूना चिप्स, डोलोमाईट पाऊडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाऊडर
12. समस्त प्रकार के खनिज पदार्थो की क्रशिंग/ग्राईंडिंग एवं पलवराईजिंग
13. स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण
14. स्पंज आयरन
15. क्लिंकर
16. ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जाये।

(ख) औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों के लिये संतृप्त उद्योगों की सूची–

1. राईस मिल, पेडी परबायलिंग एवं मेकेनाइज्ड क्लीनिंग
2. हालर मिल
3. मुरमुरा मिल
4. राईस ब्रान पर आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट
5. खाद्य तेल की रिफाईनिंग (स्वतंत्र इकाई)/रिफाईनरी
6. मिनी सीमेंट प्लांट
7. ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जायें।

टीप– संतृप्त श्रेणी का उद्योग किसी अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में, सम्पूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से संतृप्त श्रेणी के उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

परिशिष्ट–2

प्राथमिकता उद्योगों की सूची

(क) वर्गीकरण के आधार परः–

1. हर्बल, वनौषधि तथा लघु वनोपज पर आधारित उद्योग
2. आटोमोबाईल, आटो कंपोनेन्ट्स
3. साइकिल एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स
4. प्लांट/मशीनरी/इंजीनियरिंग उत्पाद एवं इनके स्पेयर्स
5. नॉन फेरस मेटल पर आधारित डाउन स्ट्रीम उत्पाद
6. एल्युमिनियम पर आधारित डाउन स्ट्रीम उत्पाद
7. भारत सरकार द्वारा परिभाषित खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि पर आधारित उद्योग (राईस मिल, पेडी परबायलिंग एण्ड क्लीनिंग, हालर मिल, मुरमुरा मिल तथा राईस ब्रान साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट एवं खाद्य तेल की रिफाइनिंग (स्वतंत्र इकाई)/रिफाईनरी को छोड़कर)
8. ब्रांडेड डेयरी उत्पाद (मिल्क चिलिंग सहित)
9. फार्मास्यूटिकल उद्योग
10. एंटी स्नेक वेनम, एंटी रेबीज मेडीसिन का उत्पादन
11. व्हाईट गुडस, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रीकल उपभोक्ता उत्पाद
12. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग
13. जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाले उत्पाद
14. टेक्सटाईल उद्योग (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम, फेब्रिक्स एवं अन्य प्रक्रिया)
15. रेल्वे, अंतरिक्ष, रक्षा संस्थानों/विभागों, दूरसंचार एवं विमानन कंपनियों को आपूर्ति किये जाने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स
16. नवीन एवं नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण के निर्माता
17. शक्ति उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में लगने वाले मशीनरी एवं उपकरण
18. जेम्स एवं ज्वेलरी
19. मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट
20. स्पोर्टस् गुड्स।
21. निजी क्षेत्र में विदेशी तकनीक से विदेशी कंपनी एवं भारतीय कंपनी के संयुक्त उपक्रम में स्थापित होने वाले उद्योग
22. कोयले से द्रव्य ईंधन /गैस/पेट्रोलियम उत्पाद
23. ऐसे अन्य वर्ग के उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये।

टीपः– प्राथमिकता श्रेणी की पात्रता के लिए प्लांट एवं मशीनरी मद में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा या उससे अधिक का पूंजी निवेश करना आवश्यक होगा।

(ख) उत्पाद आधारित

1. एचडीपीई बैग्स एवं पाईप्स
2. मोल्डेड फर्नीचर, कंटेनर्स एवं पी0व्ही0सी0 पाईप्स एवं फिटिंग, हाऊस होल्ड प्लास्टिक के आयटम
3. ट्रान्समिशन लाइन टावर/मोबाईल टावर एवं उनके स्पेयर्स पार्टस/उपकरण
4. स्वचालित कृषि यंत्र, ट्रेक्टर आधारित एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटस/एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटस
5. बांस पर आधारित उद्योग (जिसमें बांस मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में रूपये 25 लाख से अधिक पूंजी निवेश हो)
6. लाख पर आधारित उद्योग (जिसमें लाख मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में रूपये 25 लाख से अधिक पूंजी निवेश हो)
7. फ्लाई ऐश उत्पाद (सीमेंट को छोड़कर)
8. रेडीमेट गारमेंन्टस (केवल अपेरल पार्क में स्थापित होने वाले)
9. सिंगल सुपर फास्फेट एवं समस्त प्रकार के फर्टीलाईजर्स
10. निर्यातक उद्योग एवं 100% निर्यातक उद्योग
11. वैगन कोच स्पेयर्स एवं फिटिंग
12. कटिंग टूल्स डाईज एवं फिक्चर्स
13. फर्शी पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, ग्रेनाईट पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग मार्बल पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग एवं अन्य मिनरल राक की कटिंग एवं पॉलिशिंग तथा टाईल्स निर्माण
14. पोलिस्टर स्टेपल फाईबर
15. ग्रामीण उद्योग (ग्रामोद्योग) इकाईयां जैसे– पेन निर्माण, झालर निर्माण, अगरबत्ती, दोना पत्तल निर्माण, पशु आहार, साबुन एवं वॉशिंग पाऊडर, फिनाईल, स्कूल बैग, सी.एफ.एल. बल्ब, स्टील विण्डो/डोर/रोलिंग शटर्स एवं अन्य जिनमें प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम पूंजी निवेश रूपये 10 लाख हो।
16. सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री का उत्पादन (प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम पूंजी निवेश रूपये 10 लाख)
17. वूडन सिजनिंग एवं केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट (प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम पूंजी निवेश रूपये 25 लाख हो),
18. हेण्डपंप
19. सबमर्सिबल पंप
20. इलेक्ट्रिक मोटर
21. ग्रेन साइलो
22. प्रीफेब्रीकेटेड बिल्डिंग सामग्री
23. पेन्ट/डिस्टेम्पर
24. पोहा
25. नान प्लास्टिक बैग्स
26. ऐसे अन्य उत्पाद जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जायें।

टीपः– प्राथमिकता श्रेणी की पात्रता के लिए प्लांट एवं मशीनरी मद में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा या उससे अधिक का पूंजी निवेश करना आवश्यक होगा।

परिशिष्ट–3

कोर सेक्टर की श्रेणी के अन्तर्गत निम्नलिखित मेगा/अल्ट्रामेगा प्रोजेक्टस कोर सेक्टर के उद्योग में आयेंगे, अर्थात् :–

1. स्टील संयंत्र
2. सीमेंट संयंत्र
3. ताप विद्युत संयंत्र
4. एल्युमिनियम संयंत्र

टीपः– कोर सेक्टर के उद्योगों को स्टाम्प शुल्क से छूट प्रवेश पर भुगतान से छूट एवं निःशक्तजन को रोजगार अनुदान की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त औद्योगिक नीति में प्रावधानित अन्य कोई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी।

परिशिष्ट–4

औद्योगिक निवेश के प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों की सूची

स.क.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम
1.	रायपुर	धरसींवा, तिल्दा, अभनपुर
2.	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा
3.	बिलासपुर	बिल्हा, कोटा, तखतपुर
4.	दुर्ग	धमधा, पाटन, दुर्ग
5.	राजनांदगांव	राजनांदगांव
6.	महासमुंद	महासमुंद
7.	धमतरी	धमतरी
8.	जांजगीर–चांपा	अकलतरा, चांपा (बम्हनीडीह), जांजगीर (नवागढ़), सक्ती, एवं बलोदा
9.	रायगढ़	रायगढ़, पुसौर, घरघोड़ा, तमनार, खरसिया
10.	कोरबा	कोरबा, कटघोरा

परिशिष्ट–5

औद्योगिक निवेश के प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की सूची

स.क.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम
1.	रायपुर	आरंग
2.	बलौदाबाजार–भाटापारा	कसडोल, बिलाईगढ़, पलारी
3.	बिलासपुर	गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही एवं मस्तुरी
4.	मुंगेली	मुंगेली, पथरिया, लोरमी
5	बालोद	बालोद,डौंडी, डौंडीलोहारा, गुण्डरदेही एवं गुरूर
6.	बेमेतरा	बेमेतरा, साजा, नवागढ़ एवं बेरला
7.	राजनांदगांव	अंबागढ़–चौकी, मानपुर, मोहला, छुरिया, छुईखदान, डोंगरगढ़, डोंगरगांव एवं खैरागढ़
8.	महासमुंद	बसना, पिथौरा, बागबाहरा एवं सराईपाली
9.	धमतरी	नगरी, मगरलोड, कुरूद
10.	जांजगीर–चांपा	मालखरौदा, जैजेपुर, डभरा एवं पामगढ़
11.	रायगढ़	धरमजयगढ़, बरमकेला, सारंगढ़ एवं लैलूंगा
12.	कोरबा	करतला, पोड़ी–उपरोड़ा एवं पाली
13.	गरियाबंद	गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, देवभोग, फिंगेश्वर
14.	कबीरधाम	कवर्धा, पंडरिया, लोहारा एवं बोड़ला
15.	उत्तर बस्तर (कांकेर), दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), सुकमा, कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा एवं कोरिया	समस्त विकासखण्ड

Naya Raipur, the 18th March 2016

No. F 21/07/2015/13/2/ED.—Whereas, the State Government is of the opinion that to promote establishment of new industrial units in the State under the industrial policy 2014-19, it is necessary for the public interest that the new industries should be exempted from the payment of electricity duty ;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3-B of the Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (No. 10 of 1949) read with clause 15 of the Chhattisgarh Industrial Policy 2014-19, the State Government, hereby, gives exemption to eligible industries from the payment of electricity duty on electricity consumed by its own unit for the period mentioned in the table below from the date of commencement of commercial production to encourage industrial investment ;

TABLE

(A) Micro, small, medium & large Industry (excluding saturated/ineligible industries)

S. N.	Area	Category of Investors	General Industry	Priority Industry	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	In industrially developing areas as per industrial policy (see appendix 4)	A) General Category.	5 years	7 years	As per clause 3.9 of notification
		B)Scheduled caste/scheduled tribe category.	10 years	10 years	
		C)Women entrepreneur, retired soldier of the State from the Indian Armed Forces/Para Military Forces, person affected by naxalism/family, NRI, Foreign direct investor, exporting industries, investors starting projects with foreign technology.	6 years	8 years	

S. N.	Area	Category of Investors	General Industry	Priority Industry	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	In industrially backward areas as per industrial policy (see appendix 5)	General Category.	7 years	10 years	As per clause 3.9 of notification
		Scheduled caste/scheduled tribe category.	10 years	12 years	
		Women entrepreneur, retired soldier of the State from the Indian Armed Forces/Para Military Forces, person affected by naxalism/ family, NRI, Foreign direct investor, exporting industries, investors starting projects with foreign technology.	8 years	11years	

(B) Mega projects, ultra mega projects (excluding core sector and saturated category industry)

S. N.	Area	Category of Investors	General Industry	Priority Industry	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	In industrially developing areas as per industrial policy (see appendix 4)	A) General Category	8 years	8 years	As per clause 3.9 of notification
		B) Scheduled caste/scheduled tribe category	10 years	10 years	
		C) Women entrepreneurs, retired soldier of the State from the Indian Armed Forces/Para Military Forces, person affected by naxalism/family, NRI, Foreign direct investor, exporting industries, investors starting projects with foreign technology	9 years	9 years	

S. N.	Area	Category of Investors	General Industry	Priority Industry	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	In industrially backward areas as per industrial policy (see appendix 5)	A) General Category	10 years	10 years	As per clause 3.9 of notification
		B) Scheduled caste/scheduled tribe category	12 years	12 years	
		C) Women entrepreneurs, retired soldier of the State from the Indian Armed Forces/Para Military Forces, person affected by naxalism/family, NRI, Foreign direct investor, exporting industries, importing projects, industries with foreign technology	11 years	11 years	

Note:- Industries having Captive power generation plants will get electricity duty exemption only on captive consumption of power.

1. The micro, small, medium and large industrial units, mega projects and ultra –mega projects which before the appointed date 01/11/2014 possesses legitimate E.M. Part 1/IEM/ letter of intent/industrial licenses for establishment of industry or have executed MoU with the state government and the MoU is alive but could not start its production before 31st October 2014 i.e. expiry of Industrial Policy 2009-14, will have the option of availing subsidy/exemptions /concessions provided in the industrial policy 2009-14 on commencing production up to 31 October 2015

2. All industries which get fresh land allotment in industrial areas/parks to be established after the appointed day and in established industrial areas/industrial areas being established/ in industrial areas/parks, before the appointed day, in cases relating to exemption, will be eligible for the additional period of one year.

3. The above exemption shall be subject to the following conditions:-

3.1 The industrial unit which operates with a captive Power plant, has to submit self-declared certificates grid connectivity wise and attested by state load dispatch center or by regional load dispatch center of PGCIL for the determination of date of commercial production.

3.2 The eligibility for exemption for industrial unit which operates with a captive Power plant shall be based on auxiliary consumption and unit consumed for Captive use as defined in electricity rule 2005. Accordingly, for availing the exemption from payment of electricity duty on units generated in captive power plants, the company must submit details of consumption every month separately with meter readings.

3.3 The determination of the date of commercial production for industrial units which operates other than the captive Power plant would be based and validated on the certificate attested by the Department of Commerce and Industry.

3.4 Application for exemption from payment of electricity duty must be submitted within one year from the date of commencement of commercial production or issue of notification whichever is later.

3.5 The list of saturated category of industries specified in Industrial policy 2014-19 who are not eligible for exemption from the payment of electricity duty is attached in Appendix-1.

3.6 The list of priority industries specified in Industrial policy 2014-19 who are eligible for exemption from the payment of electricity duty is attached in Appendix-2.

3.7 The list of core sector related industries specified in Industrial Policy 2014-19 which are not eligible for exemption from the payment of electricity duty is attached in Appendix-3.

3.8 Industrial policy 2014-19 is to encourage industrial investment for those eligible industries who have put in effect a minimum of 90 percent of unskilled workers, skilled workers in the minimum 50 percent and in case of administrative / managerial positions minimum 33 percent of employment to the domicile of the state. Accordingly, the industrial unit must submit a certificate issued by the Competent Authority from Department of Commerce and Industry in compliance with clause 44 of the policy for the confirmation of the above condition.

3.9 In case of newly established industry and industries established in the premises of existing industry, eligibility of new industry will be determined by the fulfillment of the conditions stated in paragraph 6.1 and 6.2 of Appendix-1 of Industrial Policy 2014-19 and by the certificate issued from Directorate of Industry.

4. Settlement of applications and procedure for exemption from payment of electricity duty:-

4.1 The eligible industrial unit shall submit application duly certified by the competent authority of the Department of Industry having information regarding kind of investment industries, category of industries, classification of investors, industry being new, diversification, industry not related to backward integration and forward integration, date of commencement of commercial production etc. for availing the exemption from payment of electricity duty under Industrial Policy 2014-19.

4.2 Industrial Commissioner / Director or officer duly authorized by the Department of Commerce shall forward the application containing the details of the investor classification, classification of units, status of industry, investment limits, the actual investment, the date of commencement of commercial production, eligibility period for electrical duty exemption to the Chief Electrical Inspector.

4.3 In compliance with the provisions stipulated in the Industrial Policy 2014-19, the industrial unit shall employ a certain percentage to the state domicile(minimum 90 per cent of unskilled workers , in case of availability of skilled workers at least 50 percent of skilled workers and minimum 33 per cent in officer / administrative positions) and the application for exemption from payment of electricity duty for a period from date of commercial production along with certificate issued by competent authorities of Commerce and Industry Department regarding employment to the domicile of State of Chhattisgarh shall be submitted to Commissioner of Commerce and Industry. Thereafter, the Commissioner of Commerce and Industry and the District Industries Centre will forward it with the recommendations within 90 days from the date of receipt of the application to Chief Electrical Inspector. The applications with incomplete recommendations will not be considered.

4.4 The Chief Electrical Inspectorate shall examine recommended application and within 30 days from the date of receipt of the application an exemption certificate shall be issued for exemption from payment of electricity duty for the time period as indicated in the table above.

4.5 The eligibility for exemption from payment of electricity duty shall be deemed cancelled in case of violation of any condition stipulated in the certificate issued by the Chief Electrical Inspector or provisions of Industrial Policy 2014-19.

4.6 In case of cancellation of eligibility for exemption above in paragraph 4.5, the industry will be required to submit the benefit of an exemption from the payment of electricity duty with interest to the state treasury from such date on which the industry became ineligible. If the arrears are not paid by the industry, then it would be charged and recovered from arrears of land revenue.

4.7 In case of any dispute regarding eligibility for exemption from payment of electricity duty, the matter shall be resolved under Rule 13 of the Chhattisgarh Electricity Duty Rule, 1949 by authority authorized by State Government and the decision will be final and binding on the parties.

This notification will be effective from 1.11.2014 and shall be applicable to New Industrial units who have started commercial production on or after 01.11.2014 and up to 31.10.2019 under Industrial Policy 2014-2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

O. P. YADAV, Secretary.

APPENDIX-1

List of Saturated Category industries (List of ineligible Industries)

(a) List of saturated industries for the entire state –

1. Pan Masala, Gutkha, Supari and tobacco based industries
2. Alcohol, Distillery and alcohol based beverages
3. Crackers, Matchbox and industries related to Fireworks
4. Saw mill
5. Leather tannery
6. Slaughter house
7. Re-packing of any product
8. Mineral water
9. Polythene Bag (excluding HDPE bags)
10. Coal and Coke briquette, coal screening (excluding coal washery)
11. Manufacturing of Lime, Lime powder, Lime chips, Dolomite powder and all types of mineral powder
12. Crushing, grinding and pulverizing of all type of mineral materials
13. Stone crusher / manufacturing of Ballast (gitti)
14. Sponge Iron
15. Clinker
16. Such other industries which may be notified by the State Government

(b) List of saturated industries for industrially developing areas-

1. Rice Mill, Paddy parboiling and mechanised cleaning
2. Huller mill
3. Murmura Mill
4. Solvent Extraction Plant based on Rice bran
5. Refining of edible oil (independent unit)/refinery
6. Mini Cement Plant
7. Such other industries which may be notified by the State Government.

Note- In case of establishment of industry of saturated category along with industry of any other category, the eligibility under industrial investment promotion shall be decided by way of deducing the investment made on saturated category product from the investment of entire project.

APPENDIX - 2

List of Priority Industries

(a) On the basis of Classification:-

1. Industries based on Herbal, Forest medicine and Minor Forest produce
2. Automobile, Auto components
3. Cycle and product/accessories/spares used for manufacturing of cycle
4. Plant/machineries/engineering products and its spares
5. Downstream product based on non-ferrous metal
6. Downstream product based on Aluminium
7. Industries based on food processing and Agriculture as defined by Govt. of India (Except Rice mill, Paddy parboiling and cleaning, Huller mill, Murmura Mill and Rice Bran Solvent Extraction Plant and Refining of edible oil (Independent unit)/refinery)
8. Branded dairy product (Including milk chilling)
9. Pharmaceutical industry
10. Production of Anti-snake venom, Anti-rabies medicine
11. White goods, electronic and electrical consumer goods
12. Information Technology and Information Technology supported service industry
13. Product covered under Bio-Technology and Nano-Technology.
14. Textile Industry (Spinning, Weaving, Power loom, Fabrics & other process)
15. Product/equipment/spares for the supply to Railway, Space, Defence institutions/Departments, Telecom and, Aviation companies.
16. Plant, Machinery & equipment required for the generation of power from new and renewable sources.
17. Machinery and equipment required for generation, transmission and distribution of power.
18. Gems and jewellery
19. Medical and Laboratory equipment

20. Sports goods
21. Industries established in the private sector by foreign technology as joint ventures of Foreign Company and Indian Company.
22. Production of liquid fuel/gas/petroleum product from coal
23. Such other category Industries which may be notified by the State Government from time to time.

NOTE: - For eligibility in priority sector it is mandatory to invest on account of Plant & Machinery up to minimum limit fixed or more, by the State Government, Department of Commerce & Industries.

(b) Product based

1. HDPE Bags & Pipes
2. Moulded furniture, containers and PVC pipes and fitting, household plastic item.
3. Transmission line tower/mobile tower and their spare parts/equipment
4. Automatic agriculture machine, tractor based agriculture implements/ agriculture implements
5. Bamboo based industry (Wherein Bamboo has to be used as the main raw material and investment on account of plant & machinery, more than Rs. 25 Lakh)
6. Shellac based industry (Wherein Shellac has to be used as the main raw material and investment more than Rs. 25 Lakh on account of plant & machinery.)
7. Fly Ash product (except cement)
8. Readymade garments (Established only in Apparel Park)
9. Single Super Phosphate & all types of fertilizers
10. Export industry and 100 % export industry
11. Wagon coach spares and fitting.
12. Cutting tools, dies and fixtures
13. Cutting and polishing of Flooring Stone, cutting and polishing of Granite Stone, cutting and polishing of Marble Stone and

cutting and polishing of other Mineral Rocks and production of Tiles

14. Polyester staple fibre
15. Village industry (Gramodyog) units like - Pen manufacturing, Jhalar manufacturing, Incense stick, Dona leaf plate manufacturing, Animal feed, Soap and Washing powder, Phenyl, School bag, CFL Bulb, Steel window/door/ rolling shutters and other Industries with a minimum investment of Rs. 10 Lakh on account of plant and machinery.
16. Production of cosmetics items (with a minimum investment of Rs. 10 Lakh on account of plant and machinery)
17. Wooden Seasoning and Chemical Treatment Plant (with a minimum investment of Rs. 25 Lakh in plant and machinery).
18. Hand pump
19. Submersible pump
20. Electric motor
21. Grain silo
22. Prefabricated building material
23. Paint/Distemper
24. Poha
25. Non plastic bags
26. Such other products which may be notified by the state government from time to time.

ıte:- For eligibility in priority sector it is mandatory to make investment on account of Plant & Machinery up to minimum limit fixed or more, by the State Government, Department of Commerce & Industries.

APPENDIX-3

Industries of Core Sector following mega/ultra-mega projects shall come under core sector category namely:-

1. Steel Plant
2. Cement Plant
3. Thermal Power Plant
4. Aluminium Plant

Note:- Core sector industries are eligible for exemptions on stamp duty, exemptions on entry tax, and handicapped (disabled) person employment subsidy. They are not eligible for any other industrial investment promotion mentioned in this Industrial Policy.

APPENDIX-4

List of Industrially Developing Areas for Promotion of Industrial Investment.

S. No.	Name of District	Name of Development Block
1	Raipur	Dharsiwa, Tilda, Abhanpur
2	Balodabazar-Bhatapara	Balodabazar, Bhatapara, Simga
3	Bilaspur	Belha, Kota, Takhatpur
4	Durg	Dhamdha, Patan, Durg
5	Rajnandgaon	Rajnandgaon
6	Mahasamund,	Mahasamund
7	Dhamtari	Dhamtari
8	Janjgir-Champa	Akaltara, Champa (Bamhanideeh), Janjgir (Navagarh), Sakti and Baloda
9	Raigarh,	Raigarh, Pusour, Gharghoda, Tamnaar, Kharsiya
10	Korba	Korba, Katghora

APPENDIX-5

List of Industrially Backward Areas for Promotion of Industrial Investment

S.No.	Name of District	Name of Development Block
1	Raipur	Aarang
2	Balodabazar-Bhatapara	Kasdol, Bilaigarh, Palari
3	Bilaspur	Gaurela, Pendra, Marwahi and Masturi
4	Mungeli	Mungeli, Pathariya, Lormi
5	Balod	Balod, Daundi, Dondi-Lohara, Gunderdehi & Gurur
6	Bemetara	Bemetra, Saja, Navagarh & Berala
7	Rajnandgaon	Ambagarh-Chowki, Maanpur, Mohla, Chhuriya, Chhuikhadan, Dongargarh, Dongargaon & Khairagarh
8	Mahasamund	Basana, Pithora, Bagbahara & Saraipali
9	Dhamtari	- Nagari, Magarlod & Kurud
10	Janjgir-Champa	Malkharoda, Jaijaipur, Dabhara & Pamgarh
11	Raigarh	Dharamjaigarh, Baramkela, Sarangarh & Lailunga
12	Korba	Kartala, Podi-Uproda & Pali
13	Gariyaband	Gariyaband, Mainpur, Chhura, Devbhog, Fingeshwar
14	Kabirdham-	Kawardha, Pandariya, Lohara & Bodala
15	North Bastar (Kanker), South Bastar (Dantewada), Sukma, Kondagaon, Narayanpur, Bijapur, Bastar, Jashpur, Balrampur, Surajpur, Sarguja & Koriya.	All Development Blocks

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 27 जनवरी 2016

क्रमांक/Q/भू-अर्जन/प्र.क्र. 2/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	चिचोली	0.052	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर, मुख्यालय चांपा.	महानदी पर निर्माणाधीन चिचोली बैराज के अंतर्गत निर्माण क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 27 जनवरी 2016

क्रमांक/Q/भू-अर्जन/प्र.क्र. 3/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	सलिहाघाट	0.172	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर, मुख्यालय चांपा.	महानदी पर निर्माणाधीन बसंतपुर बैराज सलिहाघाट एप्रोच रोड निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 17 मार्च 2016

क्रमांक/Q/भू-अर्जन/प्र.क्र. /अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	अलीकूद	5.773	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर, मुख्यालय चांपा.	महानदी पर निर्माणाधीन अलीकूद बैराज के अंतर्गत निर्माण क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 23 मार्च 2016

क्रमांक/Q/भू-अर्जन/प्र.क्र. /अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	गिरवानी	3.532	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर, मुख्यालय चांपा.	महानदी पर निर्माणाधीन अलीकूद बैराज के अंतर्गत निर्माण क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक/Q/भू-अर्जन/प्र.क्र. /अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	बेलमुडी	4.582	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर, मुख्यालय चांपा.	महानदी पर निर्माणाधीन बेलमुडी बैराज के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक 04 अ/82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	पलारी	ससहा प.ह.नं. 06	0.130	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.).	लुटुडीह-परसवानी मार्ग पर खोरसी नाला में उच्चस्तरीय पुल के लुटुडीह पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक 05 अ/82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	पलारी	परसवानी प.ह.नं. 04	0.081	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.).	लुटुडीह-परसवानी मार्ग पर खोरसी नाला में उच्चस्तरीय पुल के परसवानी पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक 06 अ/82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	पलारी	छेरकाडीह प.ह.नं. 06	0.284	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.).	लुटुडीह-परसवानी मार्ग पर खोरसी नाला में उच्चस्तरीय पुल के परसवानी पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 2 अप्रैल 2016

क्रमांक 56/भू-अर्जन/प्र.क्र. 06/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	दुरूमगढ़ प.ह.नं. 26	0.072	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.विभाग, सेतु निर्माण रायपुर.	धोबनी-पचपेडी मार्ग पर बिला नाला में पुल निर्माणाधीन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 29/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	राजपुर प.ह.नं. 10	18.80	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 31/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	खरगहना प.ह.नं. 29	0.80	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 32/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	निरतु प.ह.नं. 53	7.19	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 33/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	गनियारी प.ह.नं. 50	5.27	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अंतर्गत वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 34/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	चोरभट्ठी कला प.ह.नं. 50	16.19	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अंतर्गत वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 41/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	गोकुलपुर प.ह.नं. 29	41.97	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 42/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	बेलटुकरी प.ह.नं. 22	16.07	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अंतर्गत वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक 43/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	चोरभट्ठी खुर्द प.ह.नं. 22	14.00	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अंतर्गत वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 11 मार्च 2016

क्रमांक/1/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-थानखम्हरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बोरिया, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.35 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	40	0.01
	44	0.06
	45	0.04
	46	0.04
	48	0.04
	49	0.11
	52	0.05
योग	7	0.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गडुवा, खैरझीटी, डंगनिया, बोरिया, श्यामपुरकांपा, नवागांवकला मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 11 मार्च 2016

क्रमांक/2/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-गडुवा, प.ह.नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.06 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	14/2	0.02
	16	0.02
	17/1	0.28
	36, 37, 42	0.25
	38	0.08
	43	0.08
	49	0.01
	50	0.05
	51	0.05
	86/1	0.02
	86/2	0.02
	87	0.11
	89	0.03
	90/1	0.01
	91	0.03
योग	15	1.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवरबीजा, खम्हरिया मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 11 मार्च 2016

क्रमांक/3/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-थानखम्हरिया
- (ग) नगर/ग्राम-सेमरिया, प.ह.नं. 83/16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.19 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3	0.03
	34	0.04
	35/1	0.01
	35/2	0.08
	331/2	0.01
	314	0.01
	315	0.01
योग	7	0.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गडुवा, खैरझीटी, डंगरिया, बोरिया, श्यामपुरकांपा, नवागांवकला मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 11 मार्च 2016

क्रमांक/7/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया, प.ह.नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	73/1	0.10
योग	1	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नयापारा, सेमरिया से पुराना एवं नया खम्हरिया मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापरा, दिनांक 23 फरवरी 2016

क्रमांक 54/भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2015-16 .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भोगडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.422 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	265	0.138
	271	0.020
	266	0.130
	270	0.024
	267	0.086
	269	0.024
योग	6	0.422

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग बलौदाबाजार क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 23 जनवरी 2016

क्रमांक 28/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुरेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.247 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	203/2	0.061
	203/3	0.061
	202	0.016
	199	0.028
	188	0.081
योग	5	0.247

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-काठाकोनी मेड़पार मार्ग का चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 जनवरी 2016

क्रमांक 30/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बिलासपुर
   (ख) तहसील-तखतपुर
   (ग) नगर/ग्राम-खजुरी
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	601	0.032
योग	1	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-काठाकोनी मेड़पार मार्ग का चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 जनवरी 2016

क्रमांक 31/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बिलासपुर
   (ख) तहसील-तखतपुर
   (ग) नगर/ग्राम-सांवाताल
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.144 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	420/4	0.012
	421/1	0.012
	421/4	0.012
	422/2	0.008
	471/3	0.020
	480/2	0.016
	474/1	0.012
	474/2	0.012
	480/1	0.016
	484/1	0.024
योग	10	0.144

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-काठाकोनी मेड़पार मार्ग का चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक 02/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-देवरीखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.918 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	130	0.081
	129/1	0.332
	129/2	0.020
	131/1	0.595
	131/2	0.332
	465/2	0.008
	466	0.255
	470	0.202
	467	0.729
	469	0.364
योग	10	2.918

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक 14/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कपसिया खुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.722 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10	0.142
11	0.040
9/1	0.032
9/2	0.020
9/3	0.028
9/4	0.230
7	0.097
8	0.243
12	0.105
18	0.008
21	0.121
300/5	0.049
300/7	0.052
322	0.073
324/1	0.040
324/3	0.065
324/2	0.089
317	0.101
341/1	0.065
387	0.016
315	0.024
316	0.032
314	0.004
325	0.081
326	0.065

	(1)	(2)
	327	0.089
	328	0.129
	342/1	0.032
	383/3	0.052
	342/2	0.052
	329	0.113
	339	0.174
	340	0.138
	341/2	0.057
	330	0.065
	331	0.073
	332	0.061
	338	0.368
	337/2	0.202
	380/1	0.142
	380/2	0.121
	381	0.227
	385/1	0.073
	382	0.243
	383/1	0.061
	383/2	0.052
	384	0.121
	385/2	0.073
	398	0.150
	379	0.012
	388	0.020
योग	51	4.722

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक 06/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पथर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.914 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	607	0.134
	608	0.316
	609/2	0.129
	609/1	0.235
	606	0.061
	610	0.129
	634	0.910
योग	7	1.914

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक 08/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तुर्काडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.089 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
118/7	0.057
132	0.186
131/1	0.085
131/2	0.061
134/1	0.008
134/3	0.028
134/2	0.020
136/1	0.008
136/2	0.089
130/2	0.008
140	0.097
130/1	0.089
141	0.178
143/5	0.105
116/11, 117/10	0.121
118/6क/4	0.073
116/3, 117/3	0.077
118/6क/2	0.073
116/12, 117/11	0.077
118/8	0.057
118/17	0.057
118/18	0.057
118/19	0.049
118/20	0.040
118/16	0.134
118/6 क/5	0.073
124/1	0.012
124/5	0.020
124/2	0.057
124/3	0.012
124/4	0.081
योग 31	2.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक 24/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पांड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.638 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
198	0.032
199/1	0.202
195	0.222
199/2	0.113
194/6	0.283
191/3	0.154
194/1	0.016
216/26	0.809
216/27	0.218
193	0.518
211/1	0.186
211/2	0.093
211/3	0.093
212	0.012
213	0.045
216/25	0.332
216/24	0.311
216/53	0.405
188/2	0.081
188/1	0.012
216/61	0.101
216/21	0.518
216/4	1.408
216/19	0.526
216/12	1.101

(1)	(2)
216/10	0.324
216/41	0.283
216/11	0.154
216/51	0.486
216/22	0.308
190	0.154
192	0.138
योग 32	9.638

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक 43/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-जोगीपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-26.441 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18	0.768
19	0.526
21	0.324
23	0.283
24	0.364
25/2	0.243
25/1	0.328
27	0.178
28	0.223
29/2	0.878
20/2	0.636
20/1	0.636
26	0.275
29/1	0.421
31	0.073
32	0.344
71/1	0.219
71/2	0.178
30/1	0.506
30/3	0.769
101/2	0.656
118	0.344
72	0.336
137	0.817
105/1	0.166
126	0.478
140	0.732
22	0.688
38	0.854
33	0.364
30/5	0.170
34/1	0.142
34/2	0.142
30/2	0.599
30/4	0.506
109	0.214
127/2	0.024
108	0.332
111/1	0.170
111/2	0.170
111/3	0.162
110	0.263
114	0.283
106/1	0.223
106/2	0.223
107	0.425
104	0.231
115/1	0.433
115/2	0.384
116	0.287
117	0.316
101/1	0.405
101/2	0.287
100/1	0.138

(1)	(2)
121	0.534
99/2, 122/1	0.344
99/1	0.344
130	0.364
120/1	0.162
120/3	0.648
123/1	0.138
124	0.405
125	0.445
127/1	0.979
136	0.320
138/2	0.295
135	0.526
131/2	0.425
134/2	0.186
134/3	0.190
योग 70	26.441

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2016

क्रमांक 01/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सहसपुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.358 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
510/3	0.324
508/5	0.004
509/1	0.004
508/4	0.004
508/1	0.014
510/8	0.008
योग 6	0.358

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सहसपुरी-धनगांव मार्ग पर मांड नदी पर उच्च स्तरीय सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2016

प्रकरण क्र. 02/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-रानीगुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.136 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
858/2ख, 859/1	0.020
858/2क, 859/1	0.024
858/1 क	0.016
858/1 ख	0.020
854/4	0.020
856/2	0.024
856/3	0.008
855/4	0.004
योग	0.136

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बायंग-रानीगुड़ा-कुसमुरा-उसरौट मार्ग पर मांड नदी पर उच्चस्तरीय सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2016

प्रकरण क्र. 03/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े अतरमुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.289 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16/1 क	0.121
16/1 ग	0.067
16/1 घ	0.075
17	0.026
योग	0.289

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रायगढ़ बाईपास मार्ग के जिंदल पम्प हाउस के निकट ग्राम बड़े अतरमुड़ा मार्ग के केलो नदी मार्ग पर उच्चस्तरीय सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2016

प्रकरण क्र. 35/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-उसरौट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.894 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
102/2	0.069
298/1	0.065
302	0.028
129	0.061
126/2	0.065
291/7	0.061
285/2 क	0.012
286, 287/4	0.049
286, 287/1	0.052
257/3 ख	0.024
282/4 ख	0.020
282/3 घ	0.024

(1)	(2)
256/1	0.053
253/1	0.008
128	0.040
283/2	0.057
103/2 क	0.040
291/5	0.028
132/1	0.121
291/3	0.036
291/1	0.028
293	0.040
286, 287/2	0.101
282/2 ख	0.073
282/3 ग	0.012
256/4	0.036
256/2	0.053
101	0.101
130/1	0.012
288	0.243
103/2 ख	0.032
132/2	0.020
133/2	0.421
292/1	0.166
133/1	0.032
294	0.040
307/1	0.040
257/3 क	0.053
259/2	0.045
259/1	0.450
255/1	0.182
283/1	0.073
301	0.049
126/1	0.069
132/3	0.101
291/4	0.097
292/2 क	0.089
291/2	0.016
281	0.049
282/5	0.089
282/2 क	0.101
284/3	0.040
259/3	0.004
254/1	0.024
योग 54	3.894

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बायंग-रानीगुड़ा-कुसमुरा-उसरौट मार्ग पर मांड नदी पर उच्चस्तरीय सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

डभरा, दिनांक 9 मार्च 2016

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 396/भू.पा.ला./2016.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/1886 दिनांक 4 दिसंबर 2015 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 4 दिसंबर 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बगरैल/23	495/3	0.061
			831/1	0.040
			831/2	0.040
			821/2	0.040
			821/3	0.129
			821/4	0.093
			449/1, 449/2, 449/3, 449/4, 449/5, 449/6	0.020
			359/1	0.089
			518/1	0.174
			444/3	0.069
			518/2	0.073
			365/1	0.121
			364/2	0.032
			360/2, 364/1	0.012
			362/6, 362/7, 362/8	0.093
			517/2	0.020
			523/2	0.061
			522/3	0.032
			526/3	0.020
			530	0.201
			531/1	0.040
			833/1	0.065
			832/3	0.121
			832/4	0.121
			824	0.321
			823	0.121
		योग	**34**	**2.209**

डभरा, दिनांक 9 मार्च 2016

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 398/भू.पा.ला./2016.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/1889 दिनांक 4 दिसंबर 2015 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 4 दिसंबर 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	गोपालपुर/25	123	0.113
			124	0.057
			158	0.020
			131/8	0.091
		योग	4	**0.281**

डभरा, दिनांक 9 मार्च 2016

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 400/भू.पा.ला./2016.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/1892-93 दिनांक 4 दिसंबर 2015 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 4 दिसंबर 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मौहापाली/23	287/32	0.008
			296/2	0.101
			304/2ख	0.032
			303/1	0.041
			293/2	0.069
			288/5	0.020
			287/39	0.012
			260/2/ख	0.081
			260/1/क	0.100
			260/1/ख	0.089
			79/1	0.061
			4/4	0.016
			4/3	0.121
			2/4	0.081
			2/6	0.065
			441/3	0.081
		योग	**16**	**0.979**

डभरा, दिनांक 9 मार्च 2016

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 402/भू.पा.ला./2016.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/1888 दिनांक 4 दिसंबर 2015 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 4 दिसंबर 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.		खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बिलाईगढ़/26		334/1	0.162
				335/1	0.040
				335/2	0.040
				192/2	0.040
				263/1	0.015
			योग	**5**	**0.297**

डभरा, दिनांक 9 मार्च 2016

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 404/भू.पा.ला./2016.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/1893 दिनांक 4 दिसंबर 2015 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 4 दिसंबर 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कोसमंदा/22	101/25क	0.020
			101/1ठ	0.486
			101/1ख/79	0.025
		योग	**3**	**0.531**

डभरा, दिनांक 9 मार्च 2016

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 406/भू.पा.ला./2016.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/1890 दिनांक 4 दिसंबर 2015 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 4 दिसंबर 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	चन्द्रपुर/25	55/5ख, 55/6ख	0.172
			19/1, 20/1, 21/1	0.081
			19/2, 20/2, 21/2	0.101

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			19/3, 20/3, 21/3	0.162
			19/4, 20/4, 21/4	0.081
			10/1, 10/2, 10/3	0.010
			55/1, 55/2	0.202
			55/3क, 55/4क, 51/2क	0.040
			55/5क, 55/6क	0.206
			55/3घ, 55/4घ, 51/2घ	0.040
			55/3ख, 55/4ख, 51/2ख	0.040
			18/1	0.680
			18/2	0.240
			17	0.223
			16/1	0.186
			13, 16/2	0.126
		योग	**36**	**2.590**

डभरा, दिनांक 9 मार्च 2016

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 408/भू.पा.ला./2016.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/1894 दिनांक 4 दिसंबर 2015 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 4 दिसंबर 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का

अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम /प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में) (5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	फलियामुंडा/22	123	0.121
			109/1	0.161
		योग	**2**	**0.282**

डभरा, दिनांक 9 मार्च 2016

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 410/भू.पा.ला./2016.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/1888-89 दिनांक 4 दिसंबर 2015 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 4 दिसंबर 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम /प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में) (5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बरहागुड़ा/25	181	0.061
			228/1	0.162
			228/2	0.121
			228/4	0.031

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			228/5	0.030
			228/6	0.061
			229/2	0.061
		योग	**7**	**0.527**

डभरा, दिनांक 9 मार्च 2016

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 412/भू.पा.ला./2016.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/1891-92 दिनांक 4 दिसंबर 2015 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 4 दिसंबर 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कांशीडीह/25	8/2	0.081
			42/2	0.022
			82	0.140
			100	0.101
			153/3	0.101
			16/3	0.148
			76	0.321
			75	0.097

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			81	0.081
			8/1	0.250
			7	0.220
			16/1	0.149
			16/2	0.138
			17/2	0.110
			78	0.105
			99/1	0.057
			99/2	0.057
			98	0.053
			153/1	0.097
			153/2	0.101
			153/4	0.101
			94/1, 156/1, 157/1	0.168
			630	0.170
			813/2	0.081
			817	0.077
			58	0.016
			823/2, 874/2, 875/2	0.202
			823/3, 874/3, 875/3	0.202
			823/4, 874/4, 875/4	0.202
			873/1	0.405
		योग	**36**	**4.053**

डभरा, दिनांक 9 मार्च 2016

प्रारूप–घ

(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 412 (2)/भू.पा.ला./2016.— राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 का उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग–1/1887 दिनांक 4 दिसंबर 2015 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 4 दिसंबर 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.		खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22		615	0.097
				612/2	0.040
				612/3	0.040
				612/4	0.040
			योग	**4**	**0.217**

रीता यादव,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).